न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—28/2018/225 (2018/00028)

1. महावीर सिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी चौसला, हाल निवासी भराई, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र रामसिंह,
2. महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह,
   जाति राजपूत, निवासी भराई, तह0 केकडी, जिला अजमेर ।
3. छीतर पुत्र कल्याण,
4. रामधन पुत्र कल्याण,
5. सुगनी पुत्री कल्याण,
6. घीसी पत्नि छोटूलाल,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी भराई, तह0 केकडी जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 25.9.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 24/2016.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री वी0पी0सिंह राजावत एवं श्री बिशनसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 25.9.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके ग्राम भराई, तहसील केकड़ी की आराजी खसरा संख्या 505, 530, 529 की मेड़ में से होकर प्रार्थीगण विद्यमान मार्ग को विस्तार करने या चौड़ा करवाना चाहता है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 507 में आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध करते है । इस कारण उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे । अप्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा जवाब के अनुसार कथन किया कि खसरा संख्या 507 में जाने हेतु स्वंय की आराजी से होते हुए खसरा संख्या 508 की मेड़ से होकर सीधा अपने खेत में आता जाता है तथा एक अन्य वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 507

के पूर्वी दिशा से होकर है । खसरा संख्या 507 की उत्तरी दिशा से खसरा संख्या 505 में से होकर रास्ता दिया जाता है तो वह लंबा रास्ता होगा जो अप्रार्थीगण के लिए अधिक नुकसान दायक होगा । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 25.9.2017 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा संख्या 370, 369, 367 में से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को न तो सुनवाई का अवसर दिया तथा बिना बहस सुने सरसरी तौर पर निर्णय पारित करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के जवाब को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश के क्रियात्मक भाग के अलावा जहां स्वंय न्यायालय द्वारा विवेचन किया गया हो, तथा पक्षकारों के अभिवचनों को अंकित किया है उसमें खसरा नंबर 507, 508 व 505 बाबत् ही विचार किया है तथा इस बिन्दु पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया है कि लघुतम रास्ता कौनसा है, जैसा कि स्वंय अपीलांट ने अपने जवाब में वर्णित किया था तथा अपीलांट के जवाब में वर्णित लघुतम रास्ते पर विचार नहीं कर जो आदेश पारित किया है वह विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शे को नजरअंदाज किया है जबकि राजस्व नक्शे से स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 507 तथा 508 व 509 की पूर्वी मेड़ तथा खसरा संख्या 510 की पूर्वी मेड़ से दिया जाना उचित था तथा उक्त रास्ता लघुतम था, बिना घुमाव का था । भू–अभिलेख निरीक्षक ने पश्चात्वर्ती रिपोर्ट में इस बाबत् अंकन नहीं किया तथा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस बाबत् अंकन होने के बावजूद इस बिन्दु पर बिना विचार किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश में उन आधारों व कारणों का अभाव है जिसके आधार पर वह खसरा संख्या 370, 369 व 367 में से होकर रास्ता दिये जाने के निष्कर्ष पर पहुंचे हो, आदेश में ऐसे कोई आधार व कारण अंकित नहीं है जिससे यह बिन्दु साबित होता हो कि अपीलांट द्वारा अपने पश्चात्वर्ती जवाब में जो लघुतम रास्ता बताया वह लघुतम नहीं हो । अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को भी नजरअदांज किया कि खसरा संख्या 367 में अपीलांट का आवास बना हुआ है, के सामने से होते हुए अपीलांट की संपूर्ण खातेदारी की भूमि में लंबा रास्ता स्वीकृत कर दिया जबकि लघुतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा पूर्व में खसरा नंबर 507, 508, 509 व 510 एक ही खातेदार की भूमि थी जो आवागमन हेतु खसरा संख्या 509, 510 में से ही रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता रहा है । वर्तमान खातेदार भी इसी प्रकार से अपने खेतों पर पहुंचते है तथा खसरा नंबर 509 व 510 के खातेदारों द्वारा पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से सांठ–गांठ कर इस लघुतम रास्ते का जानबूझकर रिपोर्ट में अंकन नहीं करवाया था । अधी0न्याया0 ने इस अपीलांट के जवाब में इस बाबत् अंकित कथन पर बिना विचार किये अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 30.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 367 में से होकर जबरन रास्ता

निकालने का प्रयास किया तथा प्रार्थी द्वारा वजह पूंछने पर बताया कि उक्त खेत से रास्ता निकालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैंने अदालत से केस जीत लिया है, जिस पर प्रार्थी ने अपने अभिभाषक से संपर्क कर प्रकरण बाबत् जानकारी की तो आदेश दिनांक 25.9.2017 की जानकारी हुई । जिस पर प्रार्थी द्वारा अविलंब प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 5.1.2018 को ही प्राप्त की । तत्पश्चात् अधिवक्ता की सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 खसरा नंबर 507 का खातेदार काश्तकार है जिस पर आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है । इसी कारण अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा नंबर 507 में आवागमन हेतु धारा 251–राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के तहत रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम भराई, तहसील केकड़ी आराजी खसरा नंबर 507 रकबा 1.43 है0 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है । अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 505, 530 एवं 529 है । उक्त आराजी की मेड़ में से होकर प्रार्थीग्ण विद्यमान मार्ग को विस्तार करने या चौड़ा करना आशय रखते है । उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा संख्या 507 में आने जाने हेतु शुरू से उसकी स्वंय की आराजी खसरा नंबर 507/1255 से होकर खसरा नंबर 508 की मेड़ से होकर गांव भराई की सड़क से सीधा अपनी आराजी में आ–जा रहे है । प्रार्थीगण को उसकी स्वंय की आराजी खसरा संख्या 507 से आने जाने का मूल मार्ग उसकी दक्षिण दिशा से पारा रोड़ पर है जो लगभग 150 फीट लंबाई का रास्ता है । इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजियात पर आवागमन हेतु एक अन्य वैकल्पिक मार्ग उसकी आराजी संख्या 507 से पूर्व दिशा में से होकर है । उपरोक्त दोनों ही रास्ते की लंबाई कम है जबकि प्रार्थी द्वारा उत्तर दिशा मे चाहा गया रास्ता लगभग 500 फिट लंबा है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, केकड़ी से रास्ते के संबंध में रिर्पोट तलब की जिस पर तहसीलदार, केकडी ने पटवारी हल्का, केकड़ी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 20.9.2016 अधी0न्याया0 को प्रेषित की । उक्त मौका दिनांक 20.9.2016 में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि '' भराई के खसरा नंबर 507 पर वादी के साथ मौके पर पहुंचा, मौका देखा जिसकी नजरी नक्शे अनुसार रास्ते की वादी ने मांग की है । वादी ने खसरा नंबर 505, 529, 530 में कीमतन रास्ते की 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है । नजरी नक्शे अनुसार खसरा नंबर 505 में 140 मीटर X 3 मीटर यानी 420 वर्गमीटर, खसरा नंबर 530 में 120 X 3 मीटर यानी 360 मीटर तथा खसरा नंबर 529 में 18 X 3 मीटर यानि 54 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 529 में 44 X 6 मीटर यानि 264 वर्गमीटर कुल 318 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी । तथा उक्त रास्ता खसरा नंबर 504 सिवायचक खाते की भूमि में से 28 X 3 मीटर यानि 84 वर्गमीटर भूमि आयेगी जो चारागाह में से जा रहा रास्ते में मिल जावेगा । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 19.1.2017 को तहसीलदार को पुनः मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश पारित कर निर्देश दिये

कि प्रार्थी की आराजियात में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग है अथवा नहीं। अधी0न्याया0 के इस आदेश की पालना में तहसीलदार, केकड़ी द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का केकड़ी द्वारा निर्मित्त मौका रिपोर्ट दिनांक 2.5.2017 अधी0–न्याया0 को प्रेषित की गई जिसमें यह अंकित किया गया कि '' पूर्व में प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम देरी का नही है। खसरा नंबर 370 में 44 X 6 यानि 264 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 369 में से 122 X 6 यानि 732 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 367 में से 26 X 6 यानि 156 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जा सकता है जो पूर्व में प्रस्ताव से न्यूनतम दूरी पर है जो वैकल्पिक रास्ता दूसरा है । उक्त प्रस्तावित रास्ता सड़क से मिलता है । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि खसरा नंबर 369, 370 महावीरसिंह वल्द भंवरसिंह कौम राजपूत की खातेदारी की आराजियात है तथा खसरा नंबर 367 सिवायचक खाते की भूमि है । अधी0न्याया0 ने भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का, केकड़ी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 2.5.2017 के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है । उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 2.5.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय पक्षकारान को मौके पर तलब नहीं कर स्वंय के स्तर पर मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई है । तहसीलदार को मौका रिपोर्ट प्रार्थी एवं अप्रार्थी की मौजूदगी में पक्षकारान को सुनकर मौका रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवानी चाहिये थी किन्तु तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने पक्षकारान को तलब किये बिना स्वंय के स्तर पर मौका रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.9.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार स्वंय द्वारा निर्मित्त मौका रिपोर्ट तलब कर उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र को निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,